



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:13892-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

लखनऊ

विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या - 351/2025

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपने प्रधान सचिव, उद्यान, लखनऊ एवं 2 अन्य

.....अपीलकर्ता

बनाम

दीपू यादव एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थागण

अपीलकर्ता के अधिवक्ता: मोहित जौहरी (स्थायी अधिवक्ता)

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: मोहम्मद अतीक खान

मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय

माननीय अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति

माननीय जसप्रीत सिंह, न्यायमूर्ति

1. यह अपील रिट-ए संख्या 2485/2025 में पारित आदेश दिनांक 04.03.2025 के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थागण द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार कर लिया गया है और उन्हें उक्त पद पर कार्यरत नियमित कर्मचारियों पर लागू न्यूनतम वेतनमान का हकदार माना गया है।
2. अपील 142 दिनों से वर्जित है।
3. जिला उद्यान अधिकारी, सीतापुर के शपथ पत्र द्वारा समर्थित, अपील दायर करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु एक प्रार्थना पत्र दायर किया गया है, जिसमें यह इंगित किया गया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है। आदेश 04.03.2025 को पारित किया गया था। कानूनी राय मांगी गई थी जो 03.04.2024 को दी गई और अपील दायर करने की अनुमति 26.06.2025 को प्रदान की गई और अपील तैयार करने के बाद इसे 22.08.2025 को दायर किया गया है।
4. यह तर्क दिया गया है कि मामले को गुण-दोष के आधार पर सुना जाना आवश्यक है।
5. विलंब क्षमा के प्रार्थना पत्र में किए गए तर्कों का विरोध करते हुए प्रति-शपथ पत्र दायर किया गया है।
6. मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों में, अपील दायर करने में हुए विलंब को क्षमा करने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील दायर करने में हुए विलंब को क्षमा किया जाता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश का पद पर कार्यरत नियमित कर्मचारियों पर लागू न्यूनतम वेतनमान के भुगतान का निर्देश देना उचित नहीं था। यह तर्क दिया गया कि प्रत्यार्थीगण को आकस्मिक श्रमिकों के रूप में नियुक्त किया गया था और इस प्रकार वे प्रदान की गई राहत के हकदार नहीं थे।
8. विद्वान एकल न्यायाधीश ने पक्षों को सुनने के बाद, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय जग्गो बनाम भारत संघ व अन्य: 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 3826 और इस न्यायालय के निर्णय संतोष कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य: रिट-ए संख्या 9722/2023 का संदर्भ दिया, जिसके विरुद्ध विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 597/2024 खारिज कर दी गई थी, जो मामला इस प्रश्न से संबंधित था कि क्या अपीलकर्ताओं द्वारा संचालित नर्सरी में आकस्मिक आधार पर कार्य करने वाले लोग न्यूनतम वेतनमान पाने के हकदार होंगे, और उक्त पहलू का उत्तर प्रत्यार्थीगण के पक्ष में दिया।
9. इस तथ्य को देखते हुए कि आक्षेपित आदेश विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उस खंडपीठ के निर्णय के संदर्भ में पारित किया गया है जो वर्तमान अपील में उठाए जाने वाले मुद्दे से संबंधित है, हम आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं।
10. अपील में कोई सार नहीं है, अतः इसे खारिज किया जाता है।

(जसप्रीत सिंह, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति)

20 फरवरी, 2026

राकेश/ए.एच.ए.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"